THE RESEARCH DIALOGUE
An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
© The Research Dialogue | Volume-05 | Issue-01 | April-2026
Available online at: https://theresearchdialogue.com/
DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.63

भारत में पैरोल व्यवस्था से सम्बन्धित कानून

डॉ.प्रियंका सामंत
सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर विधि महाविद्यालय, अलवर, राजस्थान।

सारांश

प्रस्तुत शोध–पत्र भारत में 'पैरोल' (पैरोल व्यवस्था) से संबंधित कानूनों और इसकी कार्यप्रणाली का विस्तृत विश्लेषण करता है। कारागारों में कैदियों की भीड़ को कम करने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से पुनरू जोड़ने के लिए पैरोल एक महत्वपूर्ण उपचारात्मक साधन है, जो मानवाधिकारों के संरक्षण में सहायक है। यह शोध पैरोल के ऐतिहासिक विकास, अर्थ, परिभाषा, इसके लिए गठित पैरोल बोर्ड की भूमिका, तथा कैदियों पर लागू होने वाली विभिन्न शर्तों की विवेचना करता है। साथ ही, यह लेख उच्चतम और उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के माध्यम से पैरोल से संबंधित कानूनी जटिलताओं को स्पष्ट करता है। अंत में, शोध–पत्र पैरोल के दुरुपयोग, विशेषकर गंभीर अपराधियों को बार–बार पैरोल मिलने से उत्पन्न विवादों और चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता पर बल देता है।

जेल में कैदियों की भीड़ को कम करने के लिए कुछ कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाना एक महत्वपूर्ण किन्तु विवादास्पद विषय रहा है। यह आम धारणा है कि कारागृह से छूटा हुआ कैदी समाज के लिए खतरा उत्पन्न करता है। सामान्यताः कारावासी को पूरी सजा भुगत लेने के बाद ही जेल से रिहा किया जाता है। अतः वह प्रायः अनुभव करता है कि पूरी सजा भुगत चुकने के कारण उसने समाज के प्रति अपनी देनदारी चुका दी है,अतः वह पुनः अपराध करने के लिए स्वतंत्र है।

कारावासियों में इस प्रवृति को रोकने के उद्देष्य से वर्तमान दण्ड व्यवस्थाओं में उपचारात्मक तरीके अपनाये गए है जिससे कारावासियों को उनकी रिहाई के बाद एक सभ्य नागरिक के रूप में पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाता है। इन उपायों में पैरोल एक ऐसा साधन है जो समाज को बंदी रह चुके कैदियो से संरक्षण दिलाता है और साथ ही उन्हे समाज में पुर्नस्थापित होने में सहायता करता है।

जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक बार कहा था ''प्रत्येक संत का एक अतीत होता है और हर अपराधी का एक भविष्य होता है, आपराधिक पोषाक पहनने वाले व्यक्ति को कभी भी माफ न करे बल्कि उसके अंदर की खतरनाक पतनषीलता को दूर करे, उसके अंदर के बुखार, थके हुए या निराष व्यक्ति का समग्र उपचार करके उसकी मंद मानवीय क्षमता को बहाल करे। कानून को जीवन के साथ बढ़ना चाहिए और न्यायषास्त्र मानवतावाद का जवाब देता है।

©The Research Dialogue | Received: 01 April 2026 | Accepted: 05 April 2026 | Published: 15 April 2026

पैराल का अर्थ एवं परिभाषा:–

पैरोल का पर्यायवाची षब्द कारावकाष है। ऐतिहासिक दृष्टि से पैरोल सैन्य विधि से जुडी हुई अवधारणा है, जिसके अन्तर्गत कुछ युद्ध कैदियो को कारागार में वापस लौट आने की षर्त पर कुछ समय के लिए रिहा किया जाता था। वर्तमान समय में पैरोल एंग्लोः अमेरिकन दण्ड पद्धति का एक आवष्यक अंग बन गया है जो अपराधियों के प्रति समाज के बदले हुए रूख का प्रतिक है।

प्रो. जे.एल.गिलिन ने पैरोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह किसी अपराधी की दाण्डिक या सुधार संस्था से ऐसी मुक्ति है जिसके अन्तर्गत उसे किसी उपचारात्मक प्राधिकारी के नियंत्रण में रखा जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह बिना पर्यवेक्षण के समाज में विचरणे योग्य है अथवा नही।

दण्डषास्त्री डोनाल्ड टेफ्ट के अनुसार कारावासी की ऐसी रिहाई को पैरोल कहते है, जो उसे कुछ सजा भुगत लेने के पष्चात् प्राप्त होती है और जिसके अन्तर्गत कारावासी पर कतिपय षर्तो का बंधन रहता है जिनका उल्लंघन होने पर उसे पुनः कारावासित किया जा सकता है।

पैरोल पद्धति का उद्भव एवं विकास

कारावधि समाप्त होने के पूर्व कारावासियों की रिहाई की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। वर्षों पूर्व कुछ विषेष खुषी के अवसरों पर कारावासियो को समय से पूर्व ही रिहा कर दिया जाता था। फ्रासीसी क्रांति के बुद्धजीवी नेता मिराबू ने मानव अधिकारों की घोषणा के पष्चात् सन् 1791 में यह विचार रखा कि दण्ड व्यवस्था के अन्तर्गत कारागारों के बन्दियों को श्रम अनुषासन तथा पुरस्कार के रूप में अलग–अलग अंक दिये जाऐ और इन अंको का योगफल कुल अंको के आधे से अधिक हो जाने पर उन्हें आंषिक मुक्ति एवं सहायता प्रदान की जाए। स्पेन में कर्नल माण्टेसिनोस ने कारावासियों को मुक्त करने के लिए यह नीति अपनाई कि जिन कैदियों ने कारागृह में दो–तिहाई सजा पूरी कर ली हो, उन्हें मुक्त कर दिया जाए। जर्मनी के भूतपूर्व जेल गवर्नर ओवरमायर जो 1842 में म्यूनिच कारागार के मुख्य प्रषासक थे ने बंदियो को कारावधि पूर्ण होने के पूर्व बिना षर्त रिहा करने की नीति अपनाते हुए उन्हें रिलीज्ड ''प्रिझनर्स एण्ड सोसाइटीज'' को सौपने की व्यवस्था की थी। अमेरिका में न्यूयार्क राज्य ऐसा प्रथम राज्य था जिसने एल्मिरा सुधारगृह में सर्वप्रथम 1669 में पैरोल पद्धति लागू की । बाद में अन्य राज्यो में भी लागू किया गया, सन् 1977 में पैरोल रिफार्म्स एक्ट पारित हो जाने के परिणामस्वरूप अब देषभर में एक जैसी पैरोल व्यवस्था लागू है।

इंग्लैडः– पाष्चात्य देषों में पैरोल पद्धति लागू करने का वास्तविक श्रेय ब्रिटेन के नौसेना के कप्तान एलेक्जेण्डर मेकोनोची को है, जिन्होने 1845 में आस्ट्रेलिया महाद्वीप के निकटवर्ती टापू नारपोक आइसलैड में कैदियो के लिए एक बस्ती स्थापित की जिसकी देखभाल का कार्य मेकोनोची स्वयं करते थे। इस कारावासी बस्ती में केवल उन अंग्रेज अपराधियों को रखा जाता था जिन्होने पुनः अपराध किया हो, आगे चलकर ''टिकिट आन लीव्ह'' पद्धति अपनाई गई, जिसे 1852 में समाप्त कर दिया गया।

भारत में पैरोल व्यवस्था:–

भारत में कारागारों में सुधार सामाजिक आन्दोलन के परिणामस्वरूप न होकर स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान राजनीतिक कैदियो की समस्या को सुलझाने के फलस्वरूप हुआ है। भारतीय दण्ड व्यवस्था में पैरोल तथा परिवीक्षा पद्धति गत पचास वर्षो से लागू है, परिवीक्षा एक न्यायिक कार्य है, जिसे दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट) विनिष्चित करता है जबकि पैरोल एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है, जो पैरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है।

पैराल बोर्ड का गठन एवं कार्य:–

भारत में कारावासियों को पैरोल पर रिहा करने का कार्य पैरोल बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य समाज के गणमान्य व्यक्ति होते है। पैरोल बोर्ड के कार्य का स्वरूप अर्द्धन्यायिक (फनेंप श्रनकपबपंस) है, क्योकि उसे पैरोल सम्बन्धित अपने प्रषासनिक निर्णय कारावासियों के आचरण के बारे में पूरी छानबीन के पष्चात् सावधानी पूर्वक लेने होते है। पैरोल बोर्ड का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य पैरोली का पूर्ववृत (ब्ंम भ्पेजवतल) तैयार करना होता है, जिसमें पैरोल पर छोडे जाने वाले कारावासी के कारागार में आचरण व्यवहार तथा उसके पुनर्वास हेतु प्रस्तावित उपायों का उल्लेख किया जाना आवष्यक है। पैरोल बोर्ड के अलावा पैरोल व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रिय कार्यकर्ता भी होते है जो पैरोल पर रिहा किये गये कारावासियों पर देखरेख तथा नियंत्रण रखते है, उन्हे अन्वेक्षक भी कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त पैराल व्यवस्था को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए पैरोल पर्यवेक्षको की नियुक्ति भी की जाती है, इस प्रकार पैरोल व्यवस्था का संचालन मुख्यतः तीन वर्गो के प्राधिकारियो द्वारा किया जाता है जिन्हेः–

1. पैरोल बोर्ड
2. पैरोल क्षेत्रिय कार्यकर्ता
3. पैरोल पर्यवेक्षक कहा जाता है।

अमेरिका में कारावासियों को पैरोल पर छोडे जाने का कार्य मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सों को सौपा गया है, जो कारावासी की मानसिकता का परीक्षण करके यह निर्णय लेते है कि वह पैरोल पर मुक्त किये जाने योग्य है अथवा नही। परन्तु भारत में यह व्यवस्था नही है, यहां पैरोल बोर्ड द्वारा प्रत्येक कारावासी को कारागार मे ही सुनवाई का अवसर दिया जाता है ताकि पैरोल पर उसकी रिहाई के बारे में निर्णय लिया जा सके।

पैरोल की षर्ते – पैरोल पर छोड़े जाने वाले व्यक्ति पर कुछ षर्ते अधिरोपित की जाती है जिनका उसे पालन करना होता हैः–

1. नषीले पद्वार्थों का सेवन न करना तथा मदिरालयों तथा जुआ घरो में न जाना।
2. अस्त्र षस्त्र साथ न रखना तथा षिकार के लिए न जाना।
3. अपराधियों तथा असामाजिक तत्वो से दूर रहना तथा राज्य से बाहर जाने के लिए पूर्व अनुमति लेना।
4. देर रात घर के बाहर न रहना तथा राज्य से बाहर जाने के लिए पूर्व अनुमति लेना।
5. अपने निवास या नौकरी में परिवर्तन की दषा में इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित प्राधिकारियों को देना।
6. नियमित रूप से धर्म स्थलों पर जाना तथा अपना नैतिक आचरण नियंत्रित रखना।
7. बिना आज्ञा मूल्यवान वस्तुओं को उधार या किस्तो पर न लेना।
8. बिना आज्ञा विवाद न करना।

पैरोल की अवधिः–

भारत में पैरोली के पैरोल की अवधि का निर्धारण पैरोल बोर्ड ही करता है। बोर्ड को यह अधिकार षक्ति दी गई है कि वह उचित मामलों में पैरोल अवधि की समाप्ति के पूर्व ही पैरोली को पूर्णताः मुक्त किये जाने की सिफारिस कर सकता है, परन्तु किसी भी दषा में पैरोल की अवधि पैरोली की षेष सजा से अधिक नही होनी चाहिए।

पैरोल के आधारभूत सिद्वान्त –

पैरोल एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा कारागार व्यवस्था में मानवीयता का सिद्वान्त लागू किया गया है। पैरोल के उद्देष्यों का उल्लेख अखिल भारतीय जेल मेन्युअल समिति की रिपोर्ट के पैरा 101 में किया गया है जो निम्नानुसार है–

1. कारावासियों को अपना पारिवारिक जीवन यथावत बनाये रखने में सहायता करना ताकि वे अपनी पारिवारिक समस्याओ को सुलझा सके।
2. कारावासियों को लम्बे कारावासी जीवन की बुराईयों से बचाना।
3. कारावासियों में आत्म विष्वास पैदा करना तथा उनमें जीवन के प्रति रूचि उत्पन्न करने का प्रयास करना।

पैरोल सम्बन्धी न्यायिक निर्णयः—

भारतीय न्यायालयों का हमेषा यह विचार रहा है कि ऐसे कैदियों को जिन्हें लम्बे समय तक कारावास में विचारण के लिए रखा गया है पैरोल पर रिहा कर दिया जाना चाहिए ताकि उनका अपने परिवार से सम्बन्ध बना रहे। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय—समय पर महत्वपूर्ण निर्णय दिये गये है।

बाबूलाल दास बनाम पष्चिम बंगाल राज्य ए.आई.आर 1975 एस.सी के वाद में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने विचारण की प्रतिक्षा में जेल में नजरबंद रखे जाने वाले कारावासियों के प्रति सहानुभूति दर्षाते हुए टिप्पणी की कि ऐसे बंदियो को जो बिना परीक्षण के कारावास में रखे गये है पैरोल का लाभ देकर सुधरने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए और उन्हे मिसा अधिनियम 1971 की धारा—15 का लाभ देकर पैरोल पर छोड दिया जाना चाहिए।

धर्मवीर बनाम उत्तर प्रदेष राज्य ए.आई.आर 1979 एस.सी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दीर्घकालीन कारावधि भोग रहे कैदियो को बीच—बीच में निष्चित अवधि के लिए पैरोल पर छोडे जाने की अनुषंसा की ताकि समाज में उनका सम्पर्क बना रहे।

श्रीमति पूनमलता बनाम वाधवान तथा अन्य ए.आई.आर 1987 एस.सी के वाद में नजरबंद अभियुक्त को काफेपोसा 1974 कानून के अन्तर्गत बंदी बनाया गया था इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि पैरोल की अवधि को निरोध की अवधि की गणना के लिए नही गिना जाना चाहिए। लेकिन अपने उपर्युक्त निर्णय को उलटते हुए उच्चतम न्यायालय ने **सुनील फूलचंद षाह बनाम भारत संघ एवं अन्य ए.आई.आर. 2000 एस.सी** के बाद में विनिष्चित किया कि पैरोल को अस्थाई रिहाई के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है।

केसरसिंह गुलेरिया बनाम हिमाचल प्रदेष राज्य ए.आई.आर 1985 एस.सी के वाद मे निर्धन कारावासियों को पैरोल पर छोडते समय पैरोल अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे पैरोली की पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति पर विचार करके उनसे बंधपत्र या प्रतिभू लेने की षर्त को षिथिल कर दे।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने पोक्सो केस में आजीवन कारावास के दोषी को अपना वंष बढ़ाने के लिए 15 दिन की पैरोल दी है। राजस्थन कारागार (पैरोल पर रिहाई) अधिनियम 2021 के तहत एक महिला ने अपने पति की ओर से याचिका दायर की थी। उनके पति को जून 2022 में पोक्सो अधिनियम और आई.पी.सी की धारा 363,366 और 376(3) के तहत दोषी ठहराया गया था, वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। याचिका में दोषी को आकस्मिक पैरोल पर रिहा करने का निर्देष देने की मांग की गई ताकि उसकी पत्नी धार्मिक और सांस्कृतिक दर्षन के अनुसार और मानवीय पहुलओं के लिए अपने वंष के संरक्षण के उद्देष्य से बच्चे का गर्भधारण कर सके। जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस समीर जैन की खण्डपीठ ने दोषी याचिकाकर्ता की कम उम्र को ध्यान में रखते हुए बच्चा पैदा करने के लिए रेप के दोषी व्यक्ति को 15 दिन पैरोल पर रिहा करने का आदेष दिया।

राजस्थान उच्च न्यायालय के इस निर्णय को जिसमें दुष्कर्मी को पैरोल दी गई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पलट दिया। इस मामले में सरकार के वकील ने दलील दी की राइट टू पैरोल कोई मौलिक अधिकार नही

है। राजस्थान के पैरोल नियम में रेप या गैंगरेप के मामलों में पैरोल नही मिलती है और न ही ऐसे दोषियों को ओपन जेल में भेजा जाता है।

पैरोल उल्लंघन –

कारावासी को पैरोल पर छोडे जाने का उद्देष्य उसे स्वयं को समाज में पुनर्वासित होने का अवसर प्रदान करता है, परन्तु यह आवष्यक नही कि इसमें सदैव सफलता मिले। कभी–कभी पैरोली द्वारा उन षर्तो का उल्लंघन किया जाता है जिनके साथ उसे पैरोल पर रिहा किया गया है। ऐसी स्थिति में उसे कारागार या अन्य दाण्डिक संस्था में वापिस भेज दिया जाता है सर्वप्रथम पैरोली को षर्तो के उल्लंघन के लिए गिरफ्तारी का वारण्ट भेजा जाता है तथा उसे बिना किसी विचारण के गिरफ्तारी करके कारागार वापिस भेज दिया जाता है। यहां उसे सुनवाई का मौका दिया जाता है तथा अपना बचाव स्वयं या अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत करने की छूट दी जाती है यदि उसका स्पष्टीकरण स्वीकार किये जाने योग्य नही हो तो उसे षेष कारावधि जेल में बितानी होगी। यदि पैरोली ने अन्य अपराध भी किया है तो उसका उस नये अपराध के लिए विधिवत विचारण होगा तथा उसे तदनुसार दंडित किया जावेगा, नये अपराध के लिए उसे दूबारा पैरोल का लाभ नही दिया जायेगा।

भारत में कारागार अधिनियम 1894 की धारा.43 क के अनुसार यदि कोई कारावासी बिना उचित कारण के उन षर्तो का उल्लंघन करता है जिन पर उसकी सजा निलम्बित रखी गई है या पैरोल पर रिहाई की गई है तो यह अवधारित किया जायेगा कि उसने उक्त धारा के अन्तर्गत कारागार सम्बंधी अपराध किया है।

निष्कर्ष :– पैराल पर छोड़े जाने का विषय कई बार विवादास्पद बन जाता है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी जो नियम अपवाद स्थिति में लागू करने के लिए बनाए गए है, खुद सरकारे उनका उपयोग करने से नही हिचकती। बलात्कार और हत्या के अपराध में जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर हरियाणा सरकार की उदारता सवाल खड़ा करती है। गुरमीत राम रहीम को बार–बार पैरोल पर बाहर जाने की छूट मिलती रहती है। करीब दस महिनो में उसे सात बार और पिछले चार वर्षों में नौ बार पैरोल दी गई। पंचाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राम रहीम को बार–बार पैरोल देने को लेकर सवाल उठाये है और आगे अदालत की इजाजत के बिना राम रहीम को पैरोल ना दे।

सन्दर्भः–

1. मानव अधिकार, डॉ. टी.पी त्रिपाठी
2. मानव अधिकार, डॉ. जय जयराम उपाध्याय
3. मानव अधिकार, डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
4. मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, डॉ. एस.के.कपूर
5. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, डॉ. एच.ओ.अग्रवाल
6. भारत का संविधान, आचार्य डी.डी. बसु

Cite this Article

डा.प्रियंका सामंत, "भारत में पैरोल व्यवस्था से सम्बन्धित कानून" The Research Dialogue, Open Access Peer-reviewed & Refereed Journal, Pp-630–634, Volume-05, Issue-01, April-2026, https://theresearchdialogue.com/

This is an Open cess Journal / article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY-NC-ND 3.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. All rights reserved.

CERTIFICATE

of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ. प्रियंका सामंत

For publication of Research Paper title

भारत में पैरोल व्यवस्था से सम्बन्धित कानून

Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X,
Volume-05, Issue-01, Month April, Year-2026, Impact Factor (RPRI-4.73)

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor- In-chief

Dr. Neeraj Yadav
Executive-In-Chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at: https://theresearchdialogue.com/

DOI : https://doi.org/10.64880/theresearchdialogue.v5i1.63